राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 632/2025

अब्दुल करीम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति. निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. अधीक्षक, सेटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर।
5. श्री तोफान सिंह बाकोलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएच अजीतगढ, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी का आदेश दिनांक 26.06.2024 द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर से राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर में उसके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर रिक्त पद होने के आधार पर विभाग की नीति रही है कि पदोन्नति पश्चात वह कर्मचारी से उसके विकल्प पदस्थापन हेतु मांगे जाते है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही पदस्थापन किया जाता है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–4) को विकल्प प्रस्तुत किया जिसे अधीक्षक, सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर ने निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दिया और अपीलार्थी के विकल्प के आधार पर ही उसे आदेश दिनाकि 26.06.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा पदस्थापन दिया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 26.06.2024 (अनुलग्नक–3) को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर से एसडीएच अजीतगढ, सीकर कर दिया गया व प्रत्यर्थी संख्या 5

का स्थानान्तरण एसडीएच अजीतगढ, सीकर से सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर कर दिया गया। अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण अल्प अवधि में किया गया है। अपीलार्थी ने पदोन्नति पर दिनांक 26.06.2024 को सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर में कार्यग्रहण किया और अब पुनः लगभग 6 माह की अवधि में अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया जो अनुचित व अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी अन्य कार्मिक को अकोमोडेट करने के लिए यदि अन्य कार्मिक का स्थानान्तरण किया गया है तो उक्त स्थानान्तरण आदेश दुर्भावनापूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अपीलार्थी के प्रकरण पर पूर्णरूप से लागू होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर गुर्जर बनाम राज्य व अन्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण अल्प अवधि में किया गया है तो उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधिकरण द्वारा भी अल्प अवधि में किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित मानते हुए अनेक प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किये गये है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की रीढ की हडडी में फैक्चर है। फीयर की दो बार सर्जरी प्लेट/स्कूल लगे है चलने फिरने में तकलीफ है। उसकी रीढ की हड्डी एवं सर्जरी से संबंधित दस्तावेज की प्रति अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की माताजी अपीलार्थी के साथ ही रहती है जिनकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर में कार्य करने दिया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एसडीएच अजीतगढ, सीकर में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी

संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य